

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 22.10.2005 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	प्रो० परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कपूर (संभागीय आयुक्त बीकानेर प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
3.	डा० पोकरसिंह राठौड (परियोजना निदेशक अनुसंधान प्रतिनिधि निदेशक कृषि)	" "
4.	श्री मनोहर लाल बिश्नोई	" "
5.	डा० डी. जी. धन्धर	" "
6.	डा० एल.एल.शर्मा	" "
7.	डा० पी. सी. जैन	" "
8.	डा० ए.के.धामा	" "
9.	डा० ए. के. गहलोत	" "
10.	डा० हनुमान प्रसाद	" "
11.	डा० एस. जे. सिंह	" "
12.	डा० रामअवतार शर्मा	" "
13.	श्री एल.एन.गहलोत	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, सचिव पशुपालन ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा०आर.पी.सिंह, डा० विक्रमआदित्य आहूजा एवं डॉ एस.के.शर्मा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डा० रामअवतार शर्मा के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया व डा० एल.एल.शर्मा तथा श्री मनोहरलाल बिश्नोई को पुनः सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया साथ ही श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पधारें श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर, श्री विनोद कपूर तथा डॉ पोकर सिंह राठौड निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के रूप में पधारने पर स्वागत किया।

<p>राकृवि/बोम-62/2005-5/988</p>	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.6.2005 व 5.7.2005 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत ।</p> <p>पारित (Resolved) किया गया कि निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की जाए:-</p> <p>राकृवि/बोम-60/2005-1/986(4)</p> <p>सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं निश्चित मानदेय /संविदा अवधि हेतु हुए निर्णय पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने सुझाव दिया कि रेप्सर ऐक्ट राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण) अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि इस प्रकार की सेवाएं आती हैं तो उनकी पालना भी की जावे ।</p>
<p>राकृवि/बोम-62/2005-5/989</p>	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.6.2005 व 5.7.2005 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत ।</p> <p>पारित (Resolved) किया गया कि निम्न संशोधन के साथ कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाए:-</p> <p>राकृवि/बोम-60/2005-3/977</p> <p>डा0 पोकर सिंह राठौड ने दुर्गापुरा फार्म के बाईपास के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अनुसार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाही ।</p> <p>उक्त बिन्दू पर पुनःविस्तृत विचार विमर्श करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री जी का भी पत्र मिला है और अभी कोई कार्यवाई इस सम्बन्ध में नहीं की जा रही है ।</p>

	<p>राकृवि/बोम-60/2005-3/983 माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्यसरकार के निर्देश आने पर ही कार्यवाही की जावे ।</p>
<p>राकृवि/बोम-62/2005-5/990</p>	<p>कुलपति द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । ✓ पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पुष्टि कर दी जाए ।</p>
<p>राकृवि/बोम-62/2005-5/991</p>	<p>राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में Dairy Science and Food Technology College (Faculty) स्थापित करने के संबध में माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल बिश्नोई द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार बाबत ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में उक्त दोनों महाविद्यालयों को स्थापित होने पर संभाग एवं प्रदेश के किसानों/पशुपालकों/छात्रों को इसका लाभ मिलेगा ।</p> <p>पारित(Resolved) किया गया कि उक्त दोनों महाविद्यालयों की स्थापना की जाए । इस बाबत एक समिति का गठन किया जाए जो भवन, स्टॉफ, तथा अन्य संसाधनों के सदर्थ में एक प्रस्ताव बनाकर देगी जिसे राज्यसरकार को अनुमति बाबत भेजा जा सकेगा ।</p>
<p>राकृवि/बोम-62/2005-5/992</p>	<p>मननीय सदस्य डा0 ए, के, गहलोत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए पर विचार बाबत ।</p>

Handwritten signature

	<p>पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरणों को विश्वविद्यालय स्तर पर परिक्षण करवा कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए ।</p>
<p>राकृवि / बोम-62 / 2005-5 / 993</p>	<p>मननीय सदस्य डा० ए.के.गहलोत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र में चालू किये जाने वाले दो द्वि-वार्षिक पशुधन सहायक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रवेश शुल्क राज्य सरकार के अनुरूप प्रतिवर्ष राशि 28,500 प्रति छात्र प्रति वर्ष निर्धारित किया जावे के विचार बाबत</p> <p>पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए ।</p>
<p>राकृवि / बोम-62 / 2005-5 / 994</p>	<p>विश्वविद्यालय द्वारा जारी ऐसे नियमितिकरण आदेश, जिनमें कार्मिक के नाम के आगे कार्यग्रहण तिथि का अंकनहै, लेकिन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं में नियमितिकरण का आशय कार्मिक की पद पर कार्यग्रहण तिथि से लिया जाकर आदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित करने बाबत ।</p> <p>पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरणों को विश्वविद्यालय स्तर पर परिक्षण करवा कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए ।</p>
<p>राकृवि / बोम-62 / 2005-5 / 995</p>	<p>विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड का नाम दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह स्पोर्ट्स बोर्ड रखने बाबत ।</p> <p>पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड का नाम स्पोर्ट्स बोर्ड, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रख लिया जाए ।</p>



